कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 28/04/2021

थाना चेतगंज पुलिस द्वारा रेमडेसिविर इन्जेक्शन की अवैध रुप से बिक्री कर रहे दो व्यक्ति गिरफ्तार, कब्जे 02 अदद रेमडेसिविर इन्जेक्सन बरामद।

दिनांक 27-04-2021 को थाना चेतगंज के उ0नि0 मिथिलेश यादव मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व कोरोना गाईडलाईन का पालन कराने हेतु लहुराबीर चौराहे पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली की दो व्यक्ति जगतगंज स्थित प्रदीप होटल के सामने सड़क के दूसरे साइड कोने में खड़े होकर रेमडेसिवीर इन्जेक्शन अवैध रुप से बेच रहे है। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराह पुलिस बल के त्वरित कार्यवाही करते हुए जगतगंज स्थित प्रदीप होटल के पास पहुँचकर मुखबिर निशादेही पर दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जिनकी तलाशी ली गयी तो उनके पास से 02 अदद रेमडेसिविर इन्जेक्शन बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-66/21 धारा-269/270/420 भादवि व 4 महामारी अधिनियम व 18/ 27 औषधी एवं प्रसाधन अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तगण कौशल सिंह व मनु प्रवीण सिंह को समय करीब 22.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- कौशल सिंह पुत्र भुआल सिंह निवासी सी-14/172 ए-2 सोनिया थाना सिगरा, वाराणसी।
- मनु प्रवीण सिंह पुत्र अश्वनी कुमार सिंह निवासी सी-27/174 जगतगंज थाना चेतगंज, वाराणसी।

बरादमगी का विवरण-

- 02 अदद इन्जेक्शन रेमडेसिवीर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक संध्या सिंह, उ0नि0 मिथिलेश यादव, उ0नि0 अनिल कुमार साहू, हे0का0 सुरेन्द्र नाथ यादव व का0 अमित कुमार सिंह।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।